



दिनांक 21.09.2019

प्रेस विज्ञप्ति 26/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना मेहनगर

- 25-25 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
 - लूट के 11 हजार रू0 नगद
 - 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 20.09.2019 की सांय थाना मेहनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखरांव पोखरे के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर 25-25 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1.चन्द्रजीत उर्फ पत्तर उर्फ घुरपत्तर, 2.सूरज उर्फ डम्पी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 11 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त चन्द्रजीत उर्फ पत्तर उर्फ घुरपत्तर के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या, गुण्डा एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त सूरज उर्फ डम्पी के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, धोखाधडी, गुण्डा एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्तगण थाना मेहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2019 धारा 392/411 भादवि व थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2019 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25-25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मेहनगर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. चन्द्रजीत उर्फ पत्तर उर्फ घुरपत्तर निवासी हटवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
2. सूरज उर्फ डम्पी निवासी गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. लूट के 11 हजार रू0 नगद
2. 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल आदि

जनपद कानपुर नगर/थाना बिल्हौर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
 - लूट के 04 हजार रू0 नगद
 - 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 21.09.2019 की रात्रि थाना बिल्हौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकनपुर ईशान नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी अनुज कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 04 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद कन्नौज, कानपुर नगर आदि के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना बिल्हौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 462/2019 धारा 394 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना बिल्हौर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अनुज कुमार निवासी उस्मानपुर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1. लूट के 04 हजार रू0 नगद
2. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- लूट की घटना का अनावरण शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
 - लूट के 17 हजार 800 रू0 नगद
 - तमंचा मय जीवित व खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 21.09.2019 को थाना खेकड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे अंडरपास जंगल ग्राम फखरपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त आकाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 17 हजार 800 रू0 नगद, तमंचा मय जीवित व खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.09.2019 को माइक्रो फाइनेंस कम्पनी लोनी कलेक्शन एजेंट मनीष से थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम फखरपुर में 04 बदमाशों द्वारा गोली मारकर लूट की घटना गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त लूट की घटना अपने साथियों के साथ कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आकाश निवासी ग्राम फखरपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी

1. लूट के 17 हजार 800 रू0 नगद
2. तमंचा मय जीवित व खोखा कारतूस

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 45 हजार रू0 नगद
- 02 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
- 01 तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस
 - 01 स्विफ्ट कार आदि
- 06 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड आदि बरामद

दिनांक 20.09.2019 की रात्रि थाना कोतवाली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल्देपुर मोड़ पर चेकिंग के दौरान चन्द्रशेखर नगर की तरफ से आ रही संदिग्ध स्विफ्ट कार की घेराबंदी कर 03 शातिर अभियुक्त 1.हरेन्द्र कुमार, 2.दिनेश, 3.अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 45 हजार रू0 नगद, 02 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, 01 स्विफ्ट कार, 06 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड आदि बरामद हुए।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 05.09.2019 को हुई लूट की घटना सहित कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम समरदह थाना बसंतपुर जिला सिवान, बिहार।
2. दिनेश निवासी भगवतिया थाना केसरिया जिला मोतिहारी, बिहार।
3. अमित कुमार निवासी ग्राम समरदह थाना बसंतपुर जिला सिवान, बिहार।

बरामदगी

1. लूट के 45 हजार रू0 नगद
2. 02 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
3. 01 तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस
4. 01 स्विफ्ट कार
5. 06 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड आदि

जनपद बाराबंकी / थाना देवा

- शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
- लगभग 10 लाख रू0 कीमत की मारफीन बरामद

दिनांक 21.09.2019 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भिटौली के पास घेराबंदी कर अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 10 लाख रू0 कीमत की 30 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजू निवासी इब्राहिमपुर थाना देवा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1. लगभग 10 लाख रू0 कीमत की 30 ग्राम अवैध मारफीन

जनपद शाहजहाँपुर / थाना जैतीपुर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार,
 - 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
 - 01 देशी बन्दूक 12 बोर
 - 03 तमंचा 12 बोर
 - 02 अर्धनिर्मित तमंचा
 - शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 21.09.2019 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खेडा बझेडा की तरफ नहर किनारे जंगल में झाड़ियो में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त 1.गुड्डू, 2.सिराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 देशी बन्दूक 12 बोर, 03 तमंचा 12 बोर, 02 अर्धनिर्मित तमंचा, शस्त्र बनाने क उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. गुड्डू निवासी ग्राम मानपुर त्रिलोक थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
2. सिराज निवासी ग्राम मानपुर त्रिलोक थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
2. 01 देशी बन्दूक 12 बोर
3. 03 तमंचा 12 बोर
4. 02 अर्धनिर्मित तमंचा
5. शस्त्र बनाने क उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद गाजियाबाद / थाना लिंकरोड

- शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 01 करोड़ रूपये मूल्य की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 21.09.2019 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैसेफिक माल के दाहिने गेट के पास, चौकी क्षेत्र महाराजपुर से घेराबंदी कर शातिर अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रुपये मूल्य की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई ।

इस सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संजय निवासी चैनपुर चमरिया थाना मसरख पोस्ट नवादा जिला छपरा बिहार हाल पता मनोज चौधरी का मकान में किरायेदार निकट गुर्जर चौराहा गाँव भोवापुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी

1. लगभग 01 करोड़ रुपये मूल्य की 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस
